समाहरणालय, गोपालगंज

(जिला कल्याण शाखा)

अल्पकालीन निविदा संख्या–01/21–22

सचिव, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा विडियो कॉन्फ्रेसिंग में दिये गए निदेश के आलोक में गोपालगंज जिला अन्तर्गत संचालित अनु0जाति एवं अनु0जनजाति आवासीय विद्यालयों में मेस का संचालन निबंधित गैर सरकारी संस्था से कराया जाना है। मेस संचालन हेतु इच्छुक गैर सरकारी संस्था से निविदा आमंत्रित की जाती है। सीलबंद निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि से **एक सप्ताह** तक जिला कल्याण कार्यालय, गोपालगंज में **10:30** बजे पूर्वाहन से **4:30** बजे अपराह्न तक प्रत्येक कार्य दिवस में प्राप्त की जायेगी। विस्तृत जानकारी गोपालगंज के वेबसाइट **www.gopalganj.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

विभाग द्वारा निर्धारित मेन्यु एवं दर निम्न प्रकार अंकित है :–

(क)	सुबह में पी0 टी0 के पहले।	चार दिन– अंकुरित चना (40 ग्रा0) + गुड़ (20 ग्रा0) तीन दिन– अंकुरित मूँग (40 ग्रा0) + गुड़ (20 ग्रा0)
(ख)	सुबह का नास्ता	पॉच दिन– पूरी 4 + सब्जी + दुध दो दिन– पुलाव + छोला (चावल 50 ग्रा0 + चना 50 ग्रा0)
(ग)	दोपहर का खाना	चावल + दाल + सब्जी + सलाद या पापड़ अथवा भुजिया
(घ)	शाम का नास्ता	दो दिन– समोसा 2 पीस तीन दिन– मौसमी फल (150 ग्रा0) दो दिन– बिस्कुट + चॉकलेट
(ड)	रात्रि का खाना	दो दिन– रोटी + सब्जी + खीर दो दिन– रोटी + मटर पनीर की सब्जी + सेवई एक दिन –रोटी + अण्डा (एक पीस) करी की सब्जी + दुध एक दिन– चावल + दाल + सब्जी + सलाद एक दिन– खिचड़ी + चोखा + पापड़
(च)	विशेष भोजन	प्रत्येक माह में प्रत्येक रविवार (दोपहर का भोजन)– चिकेन/मटन/मछली/पनीर

सरकार द्वारा स्वीकृत राशि वर्ग 1 से 10 तक – 2300 रू0 प्रति माह प्रति छात्र

निविदा की शर्त्तें :–

1. निविदा दाताओं को मेस संचालन हेतु अलग–अलग वित्तीय एवं तकनीकी निविदा देना होगा। तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में होगा जिसे बड़ा लिफाफे में बंद कर देना होगा।
2. निविदा के साथ ही मो0 – 25,000.00/– (पच्चीस हजार रूपये) जमानत की राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा जो जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज के पदनाम से विकलनीय होगा।
3. निविदा प्राप्ति की अंतिम दिवस को, अपराहन **4:30** बजे तक निविदा प्राप्त की जायेगी तथा उसके अगले कार्य दिवस को **11:00** बजे पूर्वाहन में निविदा दाताओं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जायेगी।

4. तकनीकी निविदा के साथ पैन नं0, अद्यतन आयकर विवरणी दाखिल करने का साक्ष्य एवं GST निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता के लिए फूड लाइसेंस आवश्यक होगा।
6. निविदादाता को मेस संचालन से संबंधित तीन वर्षों का अनुभव प्रमाण पत्र जो सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत हो निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
7. तकनीकी निविदा में सफल निविदा का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
8. मेस संचालन के क्रम में निर्धारित मेन्यु के अनुसार अच्छी गुणवत्ता का भोजन आपूर्ति करना होगा।
9. मेस संचालन का दायित्व निविदा के आधार पर लोएस्ट कोटेशन वाले निविदा दाता को दिया जायेगा।
10. निविदा में सफल संस्था आवासीय विद्यालयों की ओर से भोजन बनाने एवं खाना खिलाने के लिए वर्त्तन उपलब्ध कराया जायेगा।
11. आपूर्त्तिकर्त्ता भोजन बनाने में लगने वाले ईधन की व्यवस्था स्वयं करेंगे।
12. निविदा में सफल होने वाले संस्था को जमानत के रूप में 50,000.00/– (पचास हजार रू0) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जिला कल्याण पदाधिकारी के पक्ष में एकरारनामा के समय जमा करना होगा जो अनुबंध के सफल संचालन/समाप्ति के बाद आपूर्त्तिकर्त्ता को वापस किया जा सकेगा।
13. आवासीय विद्यालय में आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा मेस के सफल संचालन की समीक्षा कर उपस्थिति के आधार पर प्रत्येक माह के अन्त में आपूर्त्तिकर्त्ता को निर्धारित दर के अनुसार प्राप्त विपत्र के आलोक में राशि का भुगतान किया जायेगा।
14. मेस संचालन हेतु आपूर्त्तिकर्त्ता को 12,000/– रू0 तक अग्रिम का भुगतान जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज के द्वारा किया जा सकेगा जिसके समायोजन के पश्चात ही द्वितीय अग्रिम का भुगतान किया जायेगा।
15. कोई भी निविदा या दावा गोपालगंज जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा।
16. सामान्यतः निविदा में सफल संस्था के साथ एक शैक्षणिक सत्र तक के लिए मेस संचालन का एकरारनामा किया जायेगा।
17. उच्चाधिकारियों के द्वारा समय–समय पर विद्यालय/मेस का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान आपूर्त्तिकर्त्ता द्वारा संचालित मेस के तहत दिये जाने वाले भोजन के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सम्यक समीक्षा कर आपूर्त्तिकर्त्ता के साथ किये गये एकरारनामा को समाप्त करने का अधिकार जिला कल्याण पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।

उप विकास आयुक्त,
गोपालगंज।